खण्ड-306, अंक-2
मंगलवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1895
(19 मार्च, 1974 ई0)

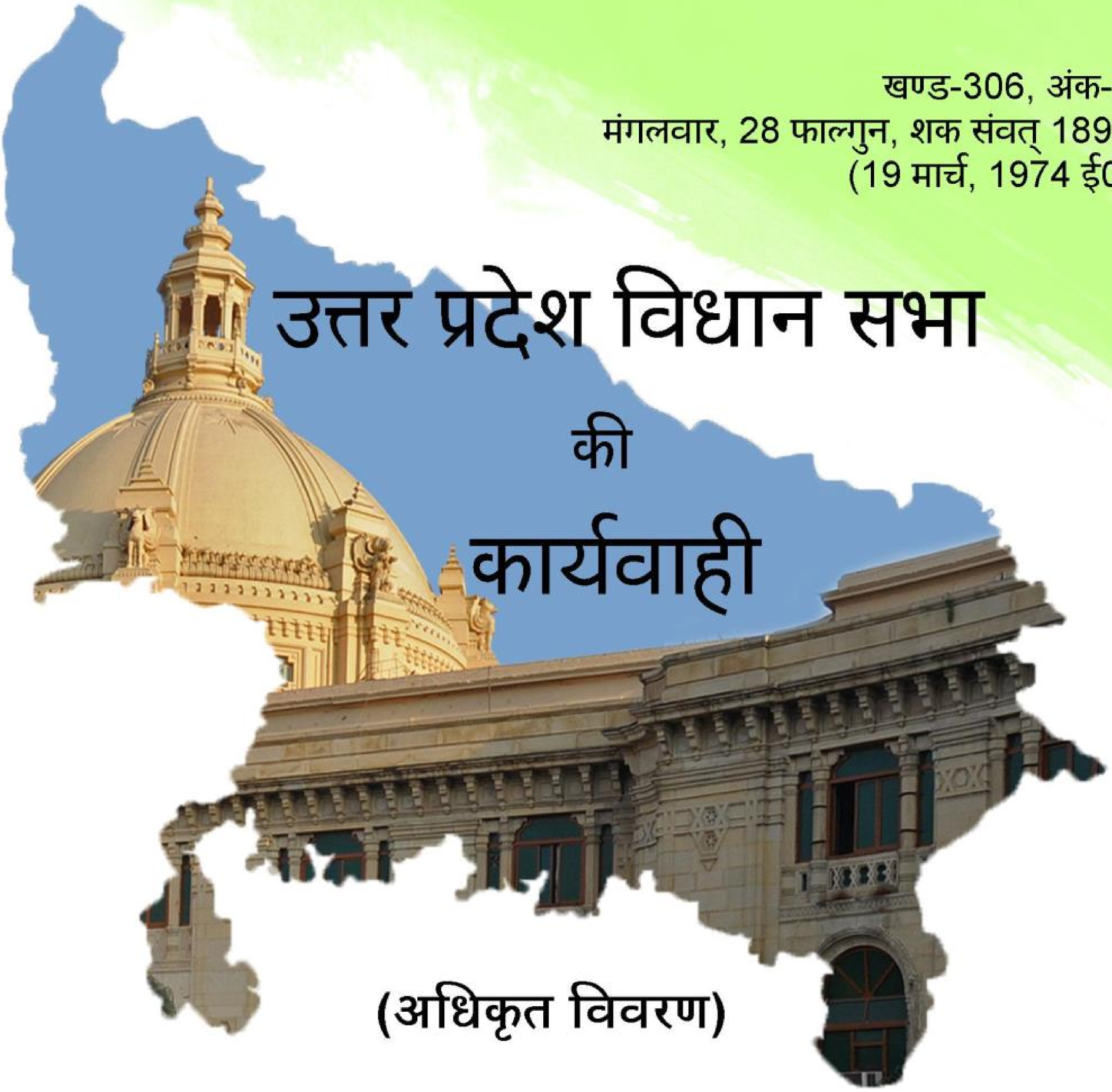

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 306 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	11–15
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	15–16
भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री शफीक अहमद, हरिनाथ तिवारी, राजाराम यादव, रामरतन प्रसाद, कामता सिंह, लक्ष्मण राव कदम, हमीद खां, रमाशंकर अग्रवाल, शिवमूर्ति सिंह, एस० जी० दत्त, तथा पुलिन बिहारी बनर्जी के निधन पर शोकोद्गार	16–20
सदन की बैठक न बुलाकर अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	20–21
व्यवस्था के प्रश्न	21–23
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (सदन के पटल पर रखा गया)	23
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1973 (सदन के पटल पर रखा गया)	23
भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1974 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अध्यादेश, 1974 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश, 1974 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफिट (निरसन) अध्यादेश, 1974 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (सदन के पटल पर रखा गया)	24
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	25
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी)	25
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	25
उत्तर प्रदेश पंचायत (सामान्य लाभ निधि) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	25

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम सशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गई)	25
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	25–26
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	26
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ, पंचम तथा षष्टम) आदेश, 1973 (सदन के पटल पर रखे गये) ..	26
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	26
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अनुदान) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	27
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों के निपटारे की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	27
उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	27
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	27
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	27–28
हरिद्वार कुम्भ मेला नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	28
उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल के कार्यों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	28
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	28
उत्तर प्रदेश कृषि उधार नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	28
इण्डियन एक्सप्लोसिव लि० (फर्टीलाइजर डिवीजन) पनकी कानपुर तथा उनके मजदूरों के मध्य दिया गया पंच निर्णय (सदन के पटल पर रखा गया) ..	28–29
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने) (सप्तम) आदेश, 1974 (सदन के पटल पर रखे गये)	29

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 में जारी किये गये शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	29
संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	29
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	30
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	31
उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	31
नत्थियां	32–40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-
संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 19 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—393

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवेध नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
उदल, श्री
ए दल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देई, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गगा स्वरूप श्री,
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टेहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छन्जू सिंह, श्री
जंग बहादुर श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेंद्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मबीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)

प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शीजेट ली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलदान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाराम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृज पाल सिंह, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह, चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीष्म, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मित्रयार खां, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)

रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण ,श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती, श्री (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत रुद्र प्रकाश, श्री

शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
सरस्वती टण्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेम राज, श्री

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

"माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के छठवें आम चुनाव के बाद इस पहले सेशन के शुभारम्भ के अवसर पर मैं आपका तहेदिल से स्वागत करता हूं। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के अलावा उत्तर प्रदेश का भारत के समाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन में प्रमुख स्थान है। मुझे इस बात का फर्क हासिल हुआ है कि आज ऐसे महान प्रदेश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहा हू। जिस शान्ति पूर्ण ढंग से पिछले चुनाव सम्पन्न हुए, वह भी दरअसल इस राज्य की जनता के लिये व आप सब के लिए गौरव का विषय है और इससे लोकतन्त्र प्रणाली में हमारी आस्था को बल मिलता है।"

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष—

बस हो गया।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

पढ़ा नहीं था इसलिए पढ़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

पूज्य बापू महात्मा गांधी राष्ट्र पिता की भी मैं याद दिलाना चाहता हूं—

ईश्वर अल्ला तेरे नाम,
सब को सन्मति दे भगवान।

मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी सूझ बूझ और कोशिशों से प्रदेश का भविष्य अधिक उज्ज्वल होगा और मेरी सरकार के साथ-साथ आप सभी इस प्रदेश की तेजी से तरक्की के भागीदार होंगे।

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 32–39 पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

सूची में लिखा है—"माननीय अध्यक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़ कर सुनायेंगे। पहला और आखिरी अंश पढ़ दिया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उसे सुन लें। प्रश्न यह है कि जब राज्यपाल महोदय अपना भाषण पढ़ते हुए नीतियों के निर्देश दे रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

अपने नेता जी से पूछ लें शोक प्रस्ताव के बीच में ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं होती।

भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री शफ़ीक अहमद, हरिनाथ तिवारी, राजाराम यादव, रामरतन प्रसाद, कामता सिंह, लक्ष्मणराव कदम, हमीद खां, रमाशंकर अग्रवाल, शिवमूर्ति सिंह, एस० जी० दत्त तथा पुलिन बिहारी बनर्जी के निधन पर शोकोद्गार

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ता है कि पिछले महीनों में इस सम्मानित सदन के 11 भूतपूर्व सम्मानित सदस्यों का निधन हो गया। सर्वश्री शफ़ीक अहमद, हरिनाथ तिवारी, राजा राम यादव, रामरतन प्रसाद, कामता सिंह, लक्ष्मणराव कदम, हमीद खां, रमाशंकर अग्रवाल, शिवमूर्ति सिंह, एस० जी० दत्त, पुलिन बिहारी बनर्जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बीच में नहीं रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री शफीक अहमद, हरिनाथ तिवारी, राजाराम यादव, रामरतन प्रसाद, कामता सिंह, लक्ष्मण राव कदम, हमीद खां, रमा शंकर अग्रवाल, शिवमूर्ति सिंह, एस० जी० दत्त तथा पुलिन बिहारी बनर्जी के निधन पर शोकोद्गार

श्री शफीक अहमद 1969 से लेकर पिछली विधान सभा तक पांच वर्ष इस विधान सभा के सदस्य रहे। वह बहेड़ी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर चुने गये थे। उनका पूरा-पूरा योगदान इस सदन की कार्यवाही में रहा। बहेड़ी म्युनिसिपल बोर्ड के सम्मानित सदस्य भी वह रहे और बरेली जिले के अनेकानेक सामाजिक और शिक्षण संस्थाओं से उनका गहरा सम्बन्ध रहा था। श्रीमन्, आपको याद होगा विधान सभा के पिछले वर्ष के सत्र में कार्य करते हुए सदन में उनको यहां पर मूर्छा सी आयी थी। वह हमारे बीच में नहीं रहे। इसका हमें बड़ा खेद है।

श्री हरिनाथ तिवारी जी की कार्य कुशलता को जन संघ दल के मुख्य सचेतक के रूप में हमने देखा। अधिष्ठाता मंडल का सदस्य होने के नाते उन्होंने अधिष्ठाता पद की गरिमा को बढ़ाया।

वर्षों तक, श्रीमान्, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर उन्होंने जो समभाव और समान रूप से निर्णय दिये और सदन को चलाया, वह हम तो जो उस समय विधान सभा के सदस्य रहे, हम उन्हें सदैव स्मरण करेंगे। वह फैजाबाद जनपद से सदस्य थे और उन्होंने वहां बड़ा कार्य किया। वह आर० डी० इन्टर कालेज के प्रधान से लेकर नगरपालिका फैजाबाद के अध्यक्ष रहे। उनके उठ जाने से जो क्षति हुई है वह एक मायने में पूरी नहीं होगी। मैं मृत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राजा राम यादव फिरोजाबाद (आगरा) के एक जाने-माने यूनियन के प्रतिनिधि थे। उनकी मृत्यु एक दुखान्त परिच्छेद के अन्तर्गत हुई और उन्हें हत्या का शिकार बनाया गया।

स्वर्गीय रामरतन प्रसाद जी बलिया जिले के विधायक थे और संगठन कांग्रेस के सम्मानित सदस्य थे। वह एक वरिष्ठ सदस्यों में से हमारे सदन के रहे। सन् 1952 से सन् 1657 तक वह सदन के सदस्य रहे। बलिया जिले के राजनैतिक व सामाजिक जीवन में उनका बड़ा हाथ रहा। हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद सिंह जी भी बलिया जिले के निवासी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात सेनानी अपने जिले में रहे। सन् 1942 के आन्दोलन में उन्होंने चित्तू पांडे के साथ बड़ी कर्मठता से ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मुकाबला किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया।

श्री लक्ष्मण राव कदम, मेरठ षडयन्त्र केस के एक जाने-माने सेनानी थे और तभी से वह इस प्रदेश के राजनैतिक जीवन में रहे। उनकी बड़ी ख्याति रही। वह इस सदन के 10 साल तक सदस्य रहे और झांसी जिले में उनका वर्षों तक म्युनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड के जरिये बड़ा योगदान रहा। उन्होंने वहां की आयुर्वेदिक की शिक्षा पद्धति के विकास में बड़ा योगदान दिया।

स्वर्गीय श्री हमीद खां का कानपुर नगर के जन-जीवन में विशेष स्थान था और जिस किसी को भी अपनी बात कहनी होती थी वह हमीद खां के पास सदैव जा सकता था। वह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। सन् 1952 में सन् 1957 तक तथा सन् 1962 से सन् 1667 तक 10 साल तक वह इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के वह अनन्य साथियों में से थे। उन्होंने सदैव साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उनका उसी में जीवन बीता। कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी के वह वर्षों तक अध्यक्ष रहे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

स्वर्गीय श्री रमाशंकर अग्रवाल आगरा नगर से इस विधान सभा के सन् 1967 से 1969 तक विधायक रहे। उनका सम्बन्ध भारतीय जनसंघ से था और आगरा नगरमहापालिका के वह सदस्य रहे। आगरा के जन-जीवन में उनका अपना स्थान था।

इसी प्रकार स्वर्गीय श्री शिवमूर्ति सिंह जी जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे और सन् 1948 से लगातार जिला बोर्ड, इलाहाबाद के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात् जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद में उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं को जन्म दिया और जिले के विकास में बड़ा योगदान दिया। वह सन् 1952 से सन् 1957 तक तथा सन् 1962 से सन् 1967 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे।

श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस सदन की ओर से इन सभी जन-प्रतिनिधियों के शोक-सन्तप्त परिवार के प्रति हार्दिकतम् संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कार्यकारी नेता सदन ने 11 भूतपूर्व सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। सचमुच यह बहुत ही दुःख का विषय है कि इस नयी विधान सभा के पहले दिन हमें 11 भूतपूर्व सदस्यों की दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट करना पड़ रहा है। इनमें से बहुत से तो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और जो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी नहीं रहे हैं वे भी सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्व रखते थे। वे अगर आज इस सदन में न भी होते तो कम से कम जिस क्षेत्र में वे कार्य करते थे और जिस समाज के उनकी सेवाओं से लाभ पहुंचता था आज वह समाज उससे वंचित हो गया।

श्री राजा राम जी का जहां तक सवाल है उनकी मृत्यु का हमें ज्यादा दुःख इसलिए है कि उनकी अकाल मृत्यु हुई, बाकी तो अपनी मृत्यु से मरे। उनकी मृत्यु में एक प्रकार से सदन का हाथ कहा जा सकता है इस मायने में कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है जान-माल की सुरक्षा की। फिरोजाबाद एक खास शहर है। पास में एक पार्क में एक विवाद में उनकी मृत्यु हो जाना बड़ी दुःखद बात है। शायद उन्हें बचाया भी जा सकता था। वैसे तो मृत्यु से बचाना मुश्किल है लेकिन अकाल मृत्यु से बचाने का प्रयास होता है। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हुई, यह बड़ी दुखद घटना है। मैं ज्यादा न कहते हुए सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने 11 स्वर्गीय विधायकों के विषय में माननीय तिवारी जी ने तथा माननीय यादव जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, बड़ा स्वाभाविक है कि जिन्होंने हम लोगों के बीच में कार्य किया हो और अपना जीवन सार्वजनिक क्षेत्र में बिताया हो वे ही हमारे बीच में से उठ जायं तो उनका अभाव हमें खले। इन व्यक्तियों में से श्री हरिनाथ तिवारी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अन्य व्यक्तियों के बारे में माननीय तिवारी जी ने सब बातें कहीं। माननीय हरिनाथ तिवारी जी हमारे दल के थे। दो बार वह जीत कर आये। फैजाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने कार्य का भली भांति सम्पादन किया। हमारे दल के सचेतक रहे और उस कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक सम्पन्न किया। पिछली बार विधान सभा में अन्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक दल के सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया और उसे कुशलतापूर्वक किया। अधिष्ठाता मंडल में भी वह रहे। डेलीगेट लेजिस्लेशन कमेटी के भी चेयरमैन रहे। उन्होंने हर कार्य बड़ी कुशलता से किया। एक सफल वकील होते हुए भी जो समय बचता था उसे सार्वजनिक क्षेत्र में बिताते थे। उनके निधन से हमारे बल को बहुत क्षति पहुंची है। चुनाव के दरमियान हृदय गति रुक जाने से उनका स्वर्गवास हुआ। हम बड़े दुखी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी संवेदना इन सभी विभूतियों के सन्तप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें और साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कार्यकारी नेता सदन, उपनेता भारतीय क्रांति दल और नेता जनसंघ ने माननीय शफीक अहमद, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय राम रतन प्रसाद, माननीय कामता सिंह, माननीय लक्ष्मणराव कदम आदि के बारे में अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और समझता हूं कि सारा सदन सहमत होगा कि जो माननीय सदस्य हमारे बीच में थे उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आई है। और उस रिक्तता की पूर्ति मुश्किल से होगी। हमारे बीच में उन्होंने काम किया था और इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य थे। वह आज हमारे बीच में नहीं रहे तो एक रिक्तता आई। माननीय शफीक अहमद कोने में बैठते थे और सरल तथा सीधे सादे स्वभाव के व्यक्ति थे और कभी-कभी सारे सदन को हंसा दिया करते थे। विधान सभा में जब तनाव या गम्भीर स्थिति होती थी तो वह अपनी नजम से सदस्यों का मनोरंजन करते थे। उनकी शायरी का एक अलग अन्दाज था। वह सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति थे और ऐसा लगता है कि जनता के साथ उनका सम्बन्ध था।

माननीय हरिनाथ तिवारी को मुझे नजदीक से जानने का अवसर मिला था। वह एक किसान थे लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वह एक बड़े वकील भी थे। यहां उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की है। सदन में इस पद पर बैठने की अनिच्छा स्वाभाविक है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी तिवारी जी ने कभी भी ना नहीं किया। उनको जब बोलना भी होता था तो बोलने का लोभ संवरण कर जाते थे। वह मुझे यहां छुट्टी दे दिया करते थे।

माननीय राजाराम यादव को जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। वह एक दबंग व्यक्ति थे और जनता से उनका सम्बन्ध था। उनकी बड़े लोगों से हमेशा कुछ न कुछ कशमकश चला करती थी। जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है, उससे हम सभी को धक्का लगा है।

माननीय रामरतन प्रसाद बलिया जिले से इस सम्मानित सदन के सदस्य थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत हिस्सा लिया था। वह 1952 और 1969 में मध्यवर्ती चुनाव में सदस्य थे और उनका सम्बन्ध 42 से 46 तक राष्ट्रीय आन्दोलन से था और उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन मे रिक्तता आई है।

माननीय कामता सिंह बलिया जिले के थे। उनका कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध था और स्वतन्त्रता संग्राम के वे एक कर्तव्यनिष्ठ सेनानी थे। अंग्रेजी साम्राज्य से उन्होंने जम कर लड़ाई में हिस्सा लिया था और चार वर्ष वह जेल में रहे। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आई है।

माननीय लक्ष्मण राव कदम 1952 से 1962 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य थे। वह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे और सार्वजनिक जीवन में रुचि रखते थे। यद्यपि वह एक बड़े घराने में पैदा हुए थे लेकिन उनका सम्बन्ध किसानों से अधिक था।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय हमीद खां 1952 और 1957 और 1962 से 1967 तक कानपुर से इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। उन्होंने स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की क्रांतिकारी लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था और जीवन के अन्तिम क्षणों तक उनका सम्बन्ध क्रांतिकारी ढंग से अपने दल से सदैव बना रहा।

माननीय रमाशंकर अग्रवाल आगरा से जनसंघ के टिकट पर चुनकर 1967 में आये थे और उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कार्य किया था वह प्रशंसनीय है। वह स्वायत्त शासन संस्थाओं में बराबर हिस्सा लेते रहे। उनकी मृत्यु से भी हमारे सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक रिक्तता आई है।

माननीय शिवमूर्ति सिंह को भी मुझे निकट से जानने का अवसर मिला था। वह मेरे पड़ोसी जिले इलाहाबाद के रहने वाले थे। वस्तुतः उन्होंने प्रतापगढ़ में कांग्रेस के संघर्षों में सेवा की थी। जवाहर लाल जी ने उनको प्रतापगढ़ का कार्यकर्त्ता बना कर भेजा था। वह बहुत साधारण ढंग से रहते थे और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करते थे और राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने जिस प्रकार अपना योगदान दिया था वह प्रशंसनीय है। उनके निधन से निश्चय ही सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी रिक्तता आई है। वह हमारे सदन में 1957 में चुनकर आये थे और 1967 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे थे।

माननीय एस0 बी0 दत्त कानपुर से इस सम्मानित सदन के सदस्य थे और 1957 से 1967 तक लगातार इस सदन के सदस्य रहे। उनका जन्म पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। वह जीवन पर्यन्त राष्ट्रीय आन्दोलनों में हिस्सा लेते रहे और उनकी मृत्यु से सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आई है।

माननीय पुलिन बिहारी बनर्जी लखनऊ के निवासी थे और बहुत से माननीय सदस्यों को उनको जानने का मौका हुआ होगा। वह स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति थे और इस राजधानी में आखिरी समय तक अविवाहित रह कर कांग्रेस के संगठन का कार्य करते रहे और स्वतन्त्रता संग्राम में बराबर भाग लेते रहे। अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा वह अपने दल को दिया करते थे। सन् 1952 तथा 1957 में जो चुनाव हुए उनमें वह हमारे इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे।

इन सब माननीय सदस्यों के निधन से हम सब बहुत दुखी हैं। आपकी वेदनायें, भावनायें हैं, समवेदनायें जो हैं उन्हें शोक संतप्त परिवारों को पहुंचा दी जायेंगी। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे और हमें धैर्य मिले।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये)

सदन की बैठक न बुला कर अध्यादेश जारी करने के संबंध में आपत्ति

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि त्रिपाठी सरकार के गिरने के बाद बहुगणा सरकार बनी। उस समय उन्होंने वोट आफ कांफीडेंस नहीं लिया और अध्यादेश जारी कर दिये जबकि उसके पहले सेशन बुलाया जा सकता था। मेरा यह कहना है कि अध्यादेश माइनोरिटी गवर्नमेंट न जारी करवाये। यह कैसे हो गया? सेशन बुलाने की जब मांग भी की गई थी तब भी अध्यादेश जारी करने का क्या अधिकार था? इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अध्यादेश तो राज्यपाल ही जारी करते हैं इस बात को माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं । इसमें व्यवस्था का प्रश्न निहित नहीं है । औचित्य का हो सकता है । आप इस चीज को स्वयं पसन्द करें या न करें । इसी सदन की एक अध्ययन समिति ने भी यह बात कही थी कि अध्यादेशों के द्वारा अधिनियम बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । किन्तु जो बात आप कह रहे हैं वह व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मई, 1973 की कार्यमन्त्रणा समिति में तय हुआ था कि कभी भी अध्यादेश नहीं आयेंगे। जब सेशन बुलाया जा सकता था तो क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह मुझे दिखा दें कि ऐसा निश्चय हुआ है तो हम उस पर पुनर्विचार कर लेंगे । बात जरूर चली थी किन्तु निर्णय नहीं हुआ था । यह माननीय सदस्य भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर आज राज्यपाल महोदय यहां पर पधारे थे । उस समय जैसी परिस्थिति इस सभा मण्डप में उपस्थित हुई थी उससे उनका भाषण पढ़ा नहीं जा सका और इसे कोई सुन भी नहीं सका । वह पढ़ा हुआ भी माना नहीं जा सकता । इसलिए हम चाहते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि राज्यपाल महोदय को दुबारा बुलाकर उनसे वह अभिभाषण को पढ़वायें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उस अभिभाषण पर बोलने का समय मिलेगा । आपको उस पर बहस करने का अधिकार है ।

एक सदस्य—

भाषण नहीं हुआ, बहस क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यदि मैं कल्पना भी करता हूं तो जो यहां पर हुआ है वह तो उलट नहीं सकता । उसपर आप भाषण देने वाले हैं । तीन-चार दिन का मौका आपको उस पर बोलने का मिलेगा उसमें कहियेगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं . . .

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है क्योंकि अभी तो सदन के सामने कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह गलत तरीके से चुनकर आये हैं और अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है, माननीय काशीनाथ जी कि जब तक कोई कुछ कहता नहीं है तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। पहले थोड़ा सुनना तो पड़ता ही है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप कृपा करके इनको यह बताइए कि व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

धीरे-धीरे होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह सरकार का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि सदन के चलने से पहले ही बहुगणा जी बीमार हो गये हैं। इसके बाद शपथ लिवाने के लिये ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसने दल बदल किया।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरी बात है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, कार्य सूची में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस में ध्यान आकर्षण के प्रश्न होने चाहिये थे, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न भी नहीं हैं। इससे हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। यह अशोभनीय घटना हुई है। यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बिना जानकारी के बोल रहे हैं। कोई जरूरी है कि किसी चीज को रखें जबकि वह न हो। सदन के सामने कोई सवाल नहीं है, आप कल्पना कर रहे हैं। आपका प्रश्न काल्पनिक है। हमारे समक्ष कोई प्रस्ताव था ही नहीं। आप व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह जो कार्य सूची मिली है इसमें इनका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो सवाल उठाया है वह वस्तुस्थिति से सम्बन्धित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, सदन का समय इसलिये नहीं है कि इस तरह से विरोधी दल के सदस्य बोलते रहें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर आप बैठे हैं और कार्य यह कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है। किसी नियम के अन्तर्गत ही सदन का कार्य संचालित होगा। आप सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करें। इसके बाद यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न होगा तो वह सुना जायगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, यह उचित नहीं है। कि दो माननीय सदस्य आपस में बोलें। माननीय काशीनाथ जी हमारे मित्र हैं। उनको इधर का तजुर्बा है और अब उधर का भी तजुर्बा लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं उसको सुन लिया जाय। यदि वह व्यवस्था का प्रश्न न हो तो आप उसको खारिज करें। लेकिन दूसरे सदस्य की इस तरह से टीका करना ठीक नहीं है। यह कांस्टीट्यूशन की बहस नहीं है बल्कि औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सभी माननीय सदस्य बैठें। हो सकता है कि यह कहीं व्यवस्था की बात कह दें। कोई हमारे सचिवालय के प्रबन्धक के बारे में कुछ कहे लेकिन सुनना तो पड़ता ही है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस बार देखने में आया है कि विधायकों ने शपथ ली है कल 18 तारीख को और इस सरकार का गठन हो गया था 5 मार्च को। मान्यवर, अभी तक सिर्फ अखबारों में था कि कौन किस दल के कितने विधायक चुनकर आये हैं, अभी तक आपकी विधान सभा में नहीं पहुंचा। अखबारों में यह निकल गया है कि 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये। शामिल हुये या नहीं अभी तक कुछ पता नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार को बने रहने का क्या औचित्य है? मेरा कहना है कि यह सरकार अवैधानिक है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो सरकार बनी है तो क्या यह वैधानिक है?

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1973†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1973 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1974†

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्रिगण जब आप बोलने लगें तो आप भी अपना बटन दबा दिया करें। नहीं तो आवाज नहीं आती है।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974†

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं आपकी आज्ञा से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अध्यादेश, 1974†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश, 1974†

न्याय मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफ़िट (निरसन) अध्यादेश, 1974†

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफिट (निरसन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रेन्ट कंट्रोल अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1580/29-58-73, दिनांक 1 सितम्बर 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 42 के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग, अनुभाग 8 की अधिसूचना संख्या 31-1-72-राजस्व-8, दिनांक 18 मई, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1973 की धारा 54 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग, अनुभाग 8 की अधिसूचना संख्या 3(1)71-1ङ, दिनांक 27 जून, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत (सामान्य लाभ निधि) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग, अनुभाग 2 की विज्ञप्ति संख्या 1699-बी/33-22-73, दिनांक 7 मई, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत (सामान्य लाभ निधि) नियमावली, 1973 को यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

पंचायती राज विभाग, अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 1876-बी-33-112-72, दिनांक 11 मई, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

पंचायती राज (2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 2691/बी-33-154/72, दिनांक 13 सितम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली

---

†छापी नहीं गई।
‡छापी नहीं गई।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

1973 जो यू0 पी0 पंचायती राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973‡

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 324—बी/33—17—73, दिनांक 19 मई, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ, पंचम तथा षष्टम) आदेश, 1973†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा (10) अनुभाग की:—

(क) अधिसूचना संख्या शिक्षा (10) 7924/15—60 (61)—73, दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) चतुर्थ आदेश, 1973;

(ख) अधिसूचना संख्या शिक्षा (10) 7787/15—60(61)—73, दिनांक 8 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1973;

(ग) अधिसूचना संख्या शिक्षा (10) 8407/15—60 (61)—73, दिनांक 21 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्टम) आदेश, 1973 को;

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973) की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973‡

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व विभाग—अनुभाग-1 की विज्ञप्ति संख्या 44/राजस्व 1-1-1-(3)-72, दिनांक 8 फरवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापे नहीं गये ।

‡छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अनुदान) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3095 –बी/33–129-69, दिनांक 28 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अनुदान) नियमावली, 1973, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन–विवादों के निपटारे की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2256 –बी/33—215-72, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों क निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटाने की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973†

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3806/7 क—2–664-55, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमालवली, 1973 को हिन्दू मैरेज ऐक्ट, 1955 की धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3402–बी/33—148-73, दिनांक 28 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद सवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 4699—बी/33–180-72, दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 द्वारा

---

†छापी नहीं गई।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (द्वितीय संशोधन), नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 237 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

हरिद्वार कुम्भ मेला नियमावली, 1974†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं स्वायत्त शासन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 59-एम/9–1–73–14-ए–के–एम (1)-72, दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित हरिद्वार कुम्भ मेला नियमावली, 1974 को संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल के कार्यों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1971–72†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल के कार्यों की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, 1971–72 को लेखा विवरण सहित, इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) (ख) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1973†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग–अनुभाग-8 की विज्ञप्ति संख्या 46/6–70–राजस्व, दिनांक 7 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उप धारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार नियमावली, 1974†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (संस्थागत वित्त) अनुभाग की अधिसूचना संख्या आई० एफ० 95/दस–16-73, दिनांक 9 जनवरी, 1974 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश कृषि उधार नियमावली, 1974 को उत्तर प्रदेश कृषि सुधार अधिनियम, 1973 की धारा 25 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

इंडियन एक्सप्लोसिव लि० (फर्टिलाइजर डिवीजन) पनकी, कानपुर तथा उनके मजदूरों के मध्य दिया गया पंच निर्णय‡

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग–अनुभाग-1 की राजाज्ञा संख्या 5601 एस० टी०/36–1-14 (एस० टी०)-72, दिनांक 25 सितम्बर, 1973 द्वारा प्रकाशित, सर्व श्री इंडियन एक्सप्लोसिव लि० (फर्टिलाइजर डिवीजन), पनकी, कानपुर तथा उनके मजदूरों के मध्य दिये

---

†छापी नहीं गई ।

‡छापा नहीं गया ।

गये पंच निर्णय (एवार्ड) को, श्रम अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 6449/एस०टी०/36-1–14 (ए स०टी०)–72, दिनांक 26 सितम्बर, 1973 जिसके द्वारा उक्त पंच निर्णय राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया, सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सप्तम) आदेश, 1974‡

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या शिक्षा (10) 345/15–41 (1)-74, दिनांक 13 फरवरी 1974 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सप्तम) आदेश, 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं० 10, 1973) की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 में जारी किये गये शुद्धि-पत्र‡

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)––

मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1344–बी/33––223–72, दिनांक 31 जनवरी, 1974 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1974 को, एवं पंचायती राज (2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 4555-बी/33–223-72, दिनांक 10 दिसम्बर, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 में जारी किये गये शुद्धि पत्र संख्या 1344–बी/33–223-72–दिनांक 26 सितम्बर, 1973 को उत्तर प्रदेश, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधन†

सचिव विधान सभा––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी की आज्ञा से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के संबन्ध में भारत सरकार के विधि मंत्रालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि को, उक्त विधेयक एवं तदविषयक संसद की कार्यवाहियों सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

---

‡छापा नहीं गया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 मे किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 40 पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मई, 1973 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 मई, 1973 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मई, 1973 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मई, 1973 के उप वेशन में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मई, 1973 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मई 1973 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 14 दिसम्बर 1972 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनें दिनांक 7 मार्च, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 19 मई, 1973 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 5 जून, 1973 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 18 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1973 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 अप्रैल, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अक्तूबर, 1973 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
19 मार्च, 1974।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 16 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को उनके 19 मार्च, 1974 से प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री अकबर अली खां का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश विधान सभा के छठवें आम चुनाव के बाद इस पहले सेशन के शुभारम्भ के अवसर पर मैं आपका तहेदिल से स्वागत करता हूं। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के अलावा उत्तर प्रदेश का भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन में प्रमुख स्थान है। मुझे इस बात का फख्र हासिल हुआ है कि आज ऐसे महान प्रदेश की जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहा हूं। जिस शान्तिपूर्ण ढंग से पिछले चुनाव सम्पन्न हुए, वह भी दरअसल इस राज्य की जनता के लिये व आप सब के लिये गौरव का विषय है और इससे लोकतंत्र प्रणाली में हमारी आस्था को बल मिलता है।

विधान परिषद् और छठवीं विधान सभा के माननीय सदस्यों के रूप में आपको इस राज्य के भविष्य-निर्माण में एक तवारीखी पार्ट अदा करना है। हमारी पांचवीं पंचसाला योजना, जो कि राज्य के विकास की दिशा में एक फैसलाकुन (निर्णायक) कदम होगा, अप्रैल, 1974 से चालू होगी, और इसे अमली शक्ल देने में आपका पूरा-पूरा सहयोग जरूरी होगा।

पिछले साल इस राज्य की जनता को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सूखा और उसके बाद बाढ़ जैसी कुदरती मुसीबतों का अनेक जिलों पर असर पड़ा। रिहन्द के इलाके में बरसात न होने के कारण राज्य को बिजली की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा जिससे उद्योग और खेती दोनों को ही गहरा धक्का लगा। ऐसी ही वजूहात और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय दबावों से पूरे देश में जरूरी चीजों की कमी पड़ गई और कीमतों में इजाफा हुआ। हमारी मुसीबतों का इतने से ही अन्त नहीं हुआ। इस साल जाड़ों में भी बारिश नहीं हुई और ओले और पाले से भी फसल को नुकसान हुआ।

पिछले साल नवम्बर के पहले हफ्ते में जब मेरी सरकार ने हुकूमत की बागडोर संभाली, तो उसके सामने सबसे पहला काम इन तमाम फौरी मसलों को मुस्तैदी, हिम्मत और तेजी के साथ हल करना था। हुकूमत ने प्रशासन के ढांचे को एक नई रोशनी देने की कोशिश की। विभिन्न स्तरों पर लाल फीताशाही खत्म करके तेजी से काम करने पर जोर दिया गया। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रशासन, जनता की जरूरतों को समझ कर, अवाम तक पहुंचे और उसकी सेवा करे। फौरी दिक्कतों और समस्याओं को हल करने की दिशा में बहुतसे कदम उठाये गये और सहायतायें दी गईं, और ऐसी योजनाओं की नींव रखी गई जिनसे भविष्य में इस प्रकार के हालात का सामना न करना पड़े और जनता की कठिनाइयों को कम किया जा सके। भारत सरकार की मदद से जरूरी चीजों की सप्लाई में और उन्हें लाने ले जाने के इन्तजाम में सुधार किया जा रहा है। साथ ही इन चीजों को जनता में बांटने की प्रणाली में भी गैर-सरकारी प्रेक्षकों की नियुक्ति व उपभोक्ताओं के संगठन को अहमियत देकर इस ढंग से सुधार किया जा रहा है जिससे विशेष रूप से कमजोर तबके के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जमाखोरी और तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिये मैंने एक अध्यादेश भी जारी किया, जिसमें ऐसे अपराधों को गैर-जमानती करार दिया गया और साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि तस्करी करने वालों को कम से कम दो साल की सजा और जमाखोरी तथा ऐसे ही दूसरे अपराधों के लिये कम से कम छः महीने की सजा दी जाय। वितरण के इन्तजाम में गड़बड़ी और मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने

R.A. 7044

135036

में कार्यवाहियां की गईं। मिसाल के लिये खाद के बटवारे में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये मेरी सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 4,000 से अधिक छापे मारे गये, 30,000 नमूने लिये गये और 1,500 से अधिक खाद के व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। कुदरती मुसीबतों से मुतस्सिर 26 जिलों में बहुत से टेस्ट वर्क चालू किये गये और उन जिलों में छोटे किसानों को एक लाख क्विन्टल से अधिक गेहूं का बीज मुफ्त बांटा गया। बिजली की कमी के बावजूद इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि रबी की फसल की सिंचाई समय से हो सके, भले ही इसके लिये बड़े उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में कटौती करनी पड़े या उसकी सप्लाई पर कड़ी पाबन्दी लगानी पड़े। पड़ोसी राज्यों से भी अधिक से अधिक मात्रा में बिजली लाने की कोशिश की गई।

मजदूरी और वेतन पर गुजर करने वाले लोगों को कीमतों के बढ़ने के कारण जो कठिनाइयां हुईं उनमें कमी करने के लिये कई कदम उठाये गये। खेतिहर मजदूरों की कम से कम मजदूरी में बढ़ोत्तरी की गई। डेरी उद्योग में काम करने वाले लोगों की कम से कम मजदूरी निर्धारित की गई। टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा, इंजीनियरिंग और डिस्टिलरी उद्योगों के मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ने जिन बढ़े हुये वेतनमानों की सिफारिश की थी उन्हें सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू किया गया। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर भारत सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की और साथ ही मकान किराये भत्ते को भी बढ़ाया। सभी स्तरों के अध्यापकों के लिये बढ़े हुये वेतन मान मंजूर किये गये। विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतन में तदर्थ बढ़ोतरी की गई, और सरकारी इमदाद पाने वाले माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और गैर अध्यापक कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के बराबर वेतन दिया गया। प्राइमरी स्कूलों के अध्यपकों के मूल वेतनमानों में भी तदर्थ बढ़ोत्तरी की गई।

तीन साल से अधिक लगातार सेवा करने वाले आरजी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये बहुत सी औपचारिकतायें खत्म करके उनके पदों को भी तुरन्त स्थायी किया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि इस कदम से लगभग एक लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा, जिनमें अधिकतर कर्मचारी कितने ही सालों से आरजी तौर पर काम कर रहे थे। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक में मिलाया गया और डाक्टरों को प्रमोशन के और अवसर दिये गये।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और जन जातियों के हितों की हिफाजत के लिये विशेष कदम उठाये। बहुत सी सेवाओं में इन जातियों के लिये जितना रिजर्वेशन मुकर्रर था उससे कम लोग नौकरी में थे। इसलिये पुलिस फोर्स में और दीगर सबोर्डिनेट सेवाओं में विशेष भर्ती की गई जिनमें इन जातियों के लिये 50 फीसदी जगह रिजर्व की गई। सभी तरह की भर्ती में इन जातियों का कोटा पूरा करने के लिये कदम उठाये गये, और साथ ही प्रमोशन के पदों में भी उनके लिये रिजर्वेशन शुरू किया गया।

जसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं कि आगे आने वाला साल खास अहमियत रखता है, क्योंकि यह हमारी पांचवीं पांचसाला योजना का पहला साल होगा। हमारी पांचवीं योजना पर कुल लागत जिसका आखिरी फैसला अभी योजना आयोग द्वारा लिया जाना है, 2,700 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ रूपये तक होने की आशा है जब कि हमारी चौथी योजना में अन्दाजन 1,130 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हमारी पांचवीं योजना का मुख्य मकसद खेती में साढ़े पांच फीसदी और उद्योग में आठ फीसदी की सालाना बढ़ोतरी लाना है। इस योजना म सबसे ऊंची प्राथमिकता बिजली, सिंचाई, कृषि, कृषि उद्योग, सड़कों, मार्केटिंग व कर्ज देने की सुविधाओं को दी गई है। योजना की कुल लागत में से 40 फी सदी से भी अधिक तो अकेले बिजली पर खर्चा होगा और खेती, सिंचाई व खेती से सम्बन्धित प्रोग्रामों पर कुल मिलाकर

25 फीसदी से ज्यादा खर्च होगा। करीब 5 फीसदी उद्योगों के विकास पर खर्च होगा। ट्रांसपोर्ट व सड़कों वगैरह पर भी अन्दाजन 10 प्रतिशत खर्च होगा। सामाजिक सेवाओं व जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं (यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्रामों) के लिये भी लगभग सात सौ करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। इन जरूरतों में प्राइमरी शिक्षा, गांव की सड़कों, गांवों में स्वास्थ्य व पानी की सप्लाई व गांवों में बिजली पहुंचाना व भूमिहीनों के रिहायशी मकानों के लिये जमीन की व्यवस्था करना व पौष्टिक आहार और गन्दी बस्तियों के सुधार भी शामिल हैं। इस प्रकार योजना के उद्देश्यों में बुनियादी, आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को पूरा करने पर खास जोर दिया गया है। हमारी आशा है कि केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग हमें हर मुमकिन सहायता देंगे ताकि हम पिछली योजनाओं के दौरान जिस हद तक आर्थिक विकास में पिछड़ गये थे उस पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिशों में सफल हो सकें और इस राज्य को इतनी तेजी से आगे ले जा सकें कि यह राज्य अन्य प्रगतिशील राज्यों के बराबर आ सके। राज्य के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों में भी संतुलित विकास के लिये व बुन्देलखंड, पर्वतीय क्षेत्र व पूर्वी जिलों की तरक्की में तेजी लाने के लिये विशेष योजनायें बनाई गई हैं।

खेती हमारी आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद है। पिछली योजनाओं के दौरान खाने के अनाज के और व्यापारिक फसलों के भी, उत्पादन को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये गये थे। इस साल खरीफ व रबी दोनों फसलों को सूखे व बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान पहुंचा, फिर भी धान की फसल में 38.3 लाख टन की उपज हो सकी जो एक नया रेकार्ड है, और इसकी खास वजह यह रही है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। आने वाले वर्षों में भी गेहूं और धान दोनों में, अधिक उपज देने वाली किस्मों को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में बोया जा गा। चालू वर्ष में इसका रकबा 45 लाख हेक्टेयर्स से कुछ कम है, जिसे बढ़ाकर अगले वर्ष में 52.50 लाख हेक्टेयर्स किया जायेगा और पांचवीं योजना के अन्त तक इसे बढ़ाकर 68 लाख हेक्टेयर्स से भी ज्यादा करने का प्रस्ताव है।

सरकारी सिंचाई के तहत इस समय 65 लाख हेक्टेयर्स रकबा आता है जिसे बढ़ाकर पांचवीं योजना के अन्त तक 97 लाख हेक्टेयर्स तक ले जाने की आशा है। रामगंगा, शारदा सहायक व गंडक प्रोजक्टों के अधीन सिंचाई का रकबा तजी से बढ़ाने के लिए, और उसका ठीक से उपयोग करने के लिए, एरिया डेवलपमेंट अथारिटीज कायम की गयी हैं।

इस समय 6 चुने हुए जिलों में छोटे व "मार्जिनल" किसानों की खेती से सम्बन्धित जरूरतों, दूध के उत्पादन व भण्डार, घरों की सुविधायें वगैरह देने के लिए विशेष सहायता दी जाती है। इस योजना को 22 और जिलों में भी लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे छोटे किसानों के लगभग 10–12 लाख परिवारों को लाभ पहुंचने की आशा है। छोटे किसानों को खाद के उचित वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा।

हमारी सरकार ने कृषि की शिक्षा और शोध को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाये हैं। आपको मालूम ही है कि हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने फैजाबाद में एक नये कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कानपुर के कृषि संस्थान को भी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों के किसानों की सुविधा के लिए कानपुर कृषि संस्थान और पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक-एक कैम्पस इन क्षेत्रों में कायम किये जायगे।

बिजली की क्षमता चौथी योजना की शुरूआत में 1310 मेगावाट थी, जो वर्तमान प्रगति के अनुसार अगले वर्ष के अन्त में बढ़कर 2124 मेगावाट हो जायेगी। आने वाले साल में 450 मेगावाट की मशीन चालू हो जाने की आशा है। प्रस्ताव है कि पांचवीं योजना के अन्त में बिजली की कुल क्षमता 4600 मेगावाट हो जायेगी। योजना में ट्रान्समिशन लाइनों को बिछाने और वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जायगा। इन बड़ी-बड़ी

बिजली की योजनाओं को समय से पूरा तभी किया जा सकेगा और बिजली के क्षेत्र में जो भारी पूंजी लगने वाली है उसका अधिक से अधिक लाभ तभी उठाया जा सकेगा जब हमारा राज्य विद्युत् परिषद् कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। परिषद् की कार्य प्रणाली पिछले कुछ समय से सरकार के लिए एक चिन्ता का विषय रही है। उसकी जांच करने और उसमें सुधार लाने के लिए डाक्टर घनानन्द पाण्डे की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी थी, जिसकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। जो सिफारिशें मंजूर होंगी उन्हें तेजी से और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायगा। सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि बिजली के उत्पादन और उसके वितरण के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाये जायं। अब तक करीब 33 हजार गांवों और 7,500 हरिजन बस्तियों को बिजली दी जा चुकी है और पांचवीं योजना में इनके अलावा 31 हजार गांवों में बिजली देने का प्रस्ताव है।

हमारे बुनकर अब तक बाहर से आने वाले सूत पर निर्भर हैं क्यों कि राज्य की जो कताई मिलें हैं वह प्रदेश की मांग को पूरा नहीं कर सकतीं। इस कमी को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन जल्दी ही बारह नयी कताई मिलें लगायेगा। इस बीच सूत की उपलब्धता बढ़ाई जायेगी और आवश्यकतानुसार उसके सही वितरण का प्रबन्ध किया जायेगा। हैन्डलूम व पावरलूम उद्योग के विकास व उसके उत्पादन की ठीक मार्केटिंग के लिए विशेष कदम उठाये जायेंगे।

इस साल गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होने के बावजूद चीनी उद्योग को गन्ने की बढ़ी हुयी कीमत देने के लिए राजी किया गया। अतिरिक्त गन्ने को पेरने के लिए पावर क्रशरों के लाइसेन्स बड़ी उदारता के साथ दिये गये। सरकार ने ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ डिफेन्स आफ इण्डिया कानून के तहत कार्यवाही की जिन्होंने अपनी मिलें वक्त से नहीं चलायीं। इस प्रकार दो चीनी मिलों का इन्तजाम सरकार ने स्टेट शुगर कार्पोरेशन को सौंप दिया। राज्य शुगर कार्पोरेशन के संगठन को अधिक मजबूत किया जायेगा ताकि वह भार्गव कमेटी की रिपोर्ट पर लिए जाने वाले निर्णयों को लागू करने में सक्षम हों। पिछले साल पूरे देश में चीनी के उत्पादन में सात लाख टन का जो इजाफा हुआ उसमें अकेले हमारे राज्य का हिस्सा 5 लाख टन का है। अगले 5 सालों में सरकार 30 नई चीनी की मिलें सहकारी क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव कर रही है, जिससे चीनी का उत्पादन 14 लाख टन से बढ़ कर 22 लाख टन होने की आशा है। राज्य में पैदा किये जाने वाले तिलहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिये वनस्पति और खाने में प्रयोग होने वाले तेलों के उत्पादन को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

सरकार अपने कई निगमों के जरिये छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें सस्ती दरों पर कर्जे व जमीन वगैरह की सुविधा दे रही है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को उद्योग में लगाने के लिये भी कई योजनायें चालू की गई हैं, जिन्हें और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी कम करने वाले घरेलू उद्योगों एवं छोटे उद्योगों की वृद्धि के लिए विशेष प्राविधान किया जाएगा।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हाल ही में सरकार ने कई निगम भी स्थापित किये हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन, ब्रासवेयर कार्पोरेशन और लेदर कार्पोरेशन का तजकिरा करना मैं मुनासिब समझता हूं। नये उद्योगों को मशविरा देने के लिये एक कन्सलटेन्सी कार्पोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। राज्य में एक मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन भी कायम किया गया है, जिससे प्रदेश के खनिजों का ठीक से विकास किया जा सके। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 37 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया है, और वहां पर उद्योगों के विकास के लिये खास सुविधायें दी जा रही हैं।

भारत सरकार हमारे राज्य में कई नये उद्योग कायम कर रही है जिसके लिये हम केन्द्र के आभारी हैं। विशेष रूप से, मथुरा में एक पेट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स, झांसी में ट्रान्सफार्मर कारखाना, गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की एक इकाई, लखनऊ में एक स्कूटर

का कारखाना व इलाहाबाद में व रायबरेली में 2 टेलीफोन कम्पोनेन्ट्स क कारखाने तथा एक टेलीफोन के पुर्जे बनाने का कारखाना अहम हैं। दो नये फर्टिलाइजर कारखाने लगाये जा रहे हैं। सुरक्षा मंत्रालय लखनऊ व कानपुर में दो कारखाने लगा रहा है व रेलवे मंत्रालय का नैनी में एक स्लीपर कारखाना खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने नरोरा में आटोमिक पावर स्टेशन भी कायम करने के लिये मंजूरी दी है, और उससे जो बिजली हमें मिल सकेगी उससे प्रदेश की बिजली की कमी को दूर करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

सहारनपुर-शाहादरा लाइट रेलवे के बन्द हो जाने से हमारे पश्चिमी जिलों की अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की सम्भावना हो गई थी। अब भारत सरकार के सहयोग से 28 करोड़ रुपये की पूंजी से एक नया निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निगम के जरिये पहले की लाइट रेलवे की जगह अब बड़ी लाइन चालू की जायगी। रेलवे मंत्रालय ने कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने व नई लाइन बिछाने का भी फैसला किया है। इसके लिए मेरी सरकार बहुत मशकूर है। प्रदेश के आर्थिक विकास में इनसे बहुत मदद मिलेगी।

शहरी विकास और मकानों की तामीर के प्रोग्रामों के अलावा, कानपुर तथा लखनऊ शहरों में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये भारत सरकार की मदद से एक नई योजना चालू की गई है। इस काम को पांचवीं योजना में और शहरों में भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार की यह खास कोशिश है कि उन जरूरी चीजों का ठीक ढंग से बंटवारा किया जाए जिनकी सप्लाई मांग से कम है। मौजूदा वितरण व खरीद प्रणाली में सुधार लाने, किसानों को उनकी उपज की ठीक कीमत देने और बिचौलियों पर नियंत्रण रखने के लिए, प्रदेश का एक अलग फूड कार्पोरेशन बनाने का भी प्रस्ताव है। अनाज के अलावा खाद, वनस्पति घी आदि अन्य चीजों के व्यापार तथा वितरण में सुधार लाने के लिए भी ऐसी ही मशीनरी कायम करने का सरकार विचार कर रही है।

जनता की, और विशेषकर छोटे किसानों की यह शिकायत रही है कि जब सरकार उनकी भूमि अर्जित करती है तो उसका मुआवजा बहुत देर में देती है। मैंने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है जिसके अनुसार भूमि का कब्जा लेते समय उसके बाजार मूल्य का जो तखमीना लगाया जाय उसका दो तिहाई फौरन अदा कर दिया जाय।

प्रदेश में अधिक से अधिक विधवाओं, वृद्धों और आजादी के सिपाहियों को सुविधा के साथ पेन्शन मिल सके इसके लिये मेरी सरकर ने यह निर्णय लिया है कि इस सम्बन्ध में सभी जाब्ते की कार्यवाही पूरी करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की होगी।

इस साल प्रदेश में 225 नये अस्पताल और डिस्पेन्सरियां खोली जा चुकी हैं और अस्पतालों में लगभग दो हजार बेड और बढ़ाये गये हैं।

माननीय सदस्यों को पहले से ही मालूम है कि सरकार ने कुमायूं और गढ़वाल में एक-एक विश्वविद्यालय कायम किया है और काशी विद्यापीठ को भी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि झांसी, बरेली और फैजाबाद में नये विश्वविद्यालय खोले जायं, और इस प्रकार प्रदेश के हर-एक डिवीजन में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो जाय। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और संस्कृत विश्वविद्यालयों में बराबर चले आ रहे घाटे को दूर करने के लिये सरकार ने लगभग एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया। मेरी सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में विश्वास रखती है और यह चाहती है कि इनका बहुमुखी विकास शिक्षाविदों द्वारा बिना सरकारी हस्तक्षेप के किया जाय। इस दिशा में एक हायर एजूकेशन ग्रान्ट्स कमीशन का गठन भी किया जा रहा है।

मेरी सरकार इस बात के लिये कदम उठा रही है कि डिग्री कालेजों के अध्यापकों को समय पर वेतन मिलता रहे। प्राइवेट डिग्री कालेजों के अध्यापकों के बारे में विचार-विमर्श करते रहने के लिये एक संयुक्त सलाहकार समिति कायम की गई है।

मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि छात्रों को पढ़ाई के लिये सभी सम्भव सुविधायें मिलनी चाहिये। सरकार ने नये छात्रावास बनाने व छात्रावासों में जगहें बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाये हैं और अगले कुछ सालों में इसमें बढ़ोत्तरी की आशा की जा सकती है। युवकों के उत्साह को रचनात्मक कामों की ओर ले जाने के लिये युवक कल्याण कार्य-क्रमों पर जोर दिया जायेगा।

हरिजनों एवं जन जातियों को उनके परम्परागत उद्योगों को आधुनिक बनाने और उनके विकास में सहायता देने के लिये निगम कायम करने का भी प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों को महाजनों के शिकंजे से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार एक ऐसा विधेयक लायेगी जिससे उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल सके। छात्रावासों में इन जातियों के छात्रों के लिये जगहें सुरक्षित की जा रही हैं। रजत जयंती गांवों में इन जातियों के लिये एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये की लागत से पांच हजार मकान बनाये जा रहे हैं। पुलिस विभाग में एक विशेष "सेल" कायम किया गया है जो हरिजनों पर होने वाले अत्याचार की शिकायतों की तुरन्त जांच करेगा और उन्हें सुरक्षा देगा। रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है ताकि उन्हें नौकरी मिलने में आसानी हो।

चालू साल में लगभग 9 लाख हरिजनों और दूसरे खेतिहर मजदूरों को 74,000 ग्रामों में घर बनाने के लिये जमीन दी गयी। अन्दाजन 1,18,000 एकड़ भूमि जो पुराने सीलिंग कानून के तहत मिली थी, भूमिहीन लोगों में बांटी गयी। पिछले साल सीलिंग कानून में राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए कुछ सुधार किये गये थे। उसके अनुसार जो भूमि मिलेगी उसमें से 50 फीसदी भूमि हरिजनों के लिये सुरक्षित रखी जायेगी। भूमि के बंटवारे पर उचित नियंत्रण रखने के लिये गैर-सरकारी लोगों की अध्यक्षता में जिला और तहसील स्तर पर समितियां बनाई जा रही हैं। भूमि बंटवारे व अन्य भूमि कानूनों से बचने के लिए की गयी फर्जी कार्यवाहियों और गांव समाज की भूमि को हड़पने की शिकायतों की जांच की जायेगी। खेतिहर भूमिहीनों और बेघर मेहनतकशों को घर बनाने लायक जमीन देने का काम भी तेजी से जारी रहेगा। इसके लिये विशेष मशीनरी गठित की जायेगी। छोटे तथा मझोले किसानों के लिये कम ब्याज पर उत्पादक ऋण की व्यवस्था करायी जायेगी।

मजदूरों के हित में औद्योगिक सम्बन्धों के सन्तुलन के लिये नया संशोधित कानून प्रस्तावित होगा।

शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार कृत संकल्प है। समाज के विभिन्न वर्गों में मेल-जोल और भाई-चारा मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रहेगी। सरकार मुख्तलिफ वर्गों के जायज हकूक की भी रक्षा करेगी। यह प्रदेश अलग-अलग मजहबों और फिरकों में दोस्ती और मेल-मिलाप के लिये मशहूर रहा है। हमारी तहजीब की इसी विशेषता को अमर कवि ने इस प्रकार गाया है :—

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।

मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी के सहयोग से प्रदेश की जनता में आपसी दोस्ती, मेल-मिलाप व एकता की भावना और मजबूत होगी।

संविधान ने अल्प संख्यकों को अपनी भाषा की सुरक्षा के जो अधिकार दिए हैं, उनकी पूरी तौर से हिफाजत सरकार करेगी। मैं इस सिलसिले में इस बात को साफ करना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकारी भाषा अकेली हिन्दी ही है और रहेगी। उर्दू के बारे में सरकार ने जो भी फैसले अभी तक लिये हैं उन पर पूरी तौर से अमल किया जायगा। उर्दू अकादमी की स्थापना

करके राज्य ने सारे देश में एक नया कदम उठाया था। इस अकादमी ने अच्छा काम किया है और इसके जरिये उर्दू की लगातार खिदमत जारी रहेगी। यह अकादमी एक बड़ी उर्दू लाइब्रेरी कायम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आप को यह जानकर खुशी होगी कि रामपुर की रजा लायब्रेरी को कौमी अहमियत की संस्था के रूप में मंजूरी देने के लिये भारत सरकार जरूरी कार्यवाही कर रही है।

मेरी सरकार अल्प संख्यकों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हितों की देखभाल करने के लिये आयोग भी गठित करेगी। इसके अध्यक्ष जज होंगे।

मेरी सरकार ने बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और एडवोकेटों का ग्रुप इन्श्योरेन्स करके देश में एक अच्छी पहल की है। सरकार का अब यह प्रस्ताव है कि यह सुवधा छोटे कर्मचारियों, पुलिस कानिस्टेबिलों और दूसरे अध्यापकों को भी दी जाय।

आने वाली पहली अप्रैल से नया जाब्ता फौजदारी लागू हो जायेगा, और उसके अनुसार लगभग सभी फौजदारी मुकदमे सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। मजिस्ट्रेटों की अदालत में फौजदारी के बढ़ते हुये मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिये सरकार ने यह फैसला लिया है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की तादाद बढ़ाई जाय। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट की सलाह से की जायेगी। हर एक जिले में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा। भारत सरकार के ला-कमीशन और प्रदेश के विधान मण्डल की स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार सिविल एण्ड सेशन्स जज के पद खत्म करके उनकी जगह एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त किये जायेंगे। इससे दीवानी के मुकदमों को जल्दी निपटाने में सहायता मिलेगी। कुछ जिलों में जहां जिला जज की अदालत नहीं है जनता की सुविधा के लिये जिला जज की अदालत खोली जायगी।

मैंने अपनी सरकार की नीतियों और प्रोग्रामों के बारे में मुख्तसर में बताया है। मेरी सरकार विशेष रूप से इस बात पर जोर देना चाहती है कि यह नीतियां महज घोषणा के रूप में नहीं रहेंगी बल्कि इन नीतियों और योजनाओं को अमली जामा पहनाया जायेगा।

मेरी सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि विकास और प्रशासन के मुख्तलिफ कामों को अकेले सरकारी मशीनरी से पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। इसके लिये जनता एवं जन-संगठनों का सहयोग परम आवश्यक है। हमें इसके लिये पंचायती राज संगठन को भी मजबूत करना होगा। सरकार जिला परिषदों को फिर से गठित करेगी और उन्हें जिला स्तर पर विकास के कामों के लिये आधार बनायेगी।

सरकार सभी स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द करायेगी।

सरकारी मशीनरी में तेजी लाने के लिये दीगर बातों के अलावा सरकार मौजूदा नियमों और आदेशों की जांच करेगी, ताकि ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जा सके जिससे जल्दी से जल्दी फैसले लिये जा सकें और काम पूरा किया जा सके। इस दिशा में सरकार का यह भी विचार है कि अधिकारों का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाय।

मेरी सरकार का यह संकल्प है कि वह जनता को स्वच्छ और कुशल प्रशासन देगी जो जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं और जरूरतों के मुताबिक काम करेगा। प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का यन्त्र बनाया जाएगा। मेरी सरकार को इस बात का पक्का यकीन है कि सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारी यह महसूस करेंगे कि उनमें से हर एक को प्रदेश की जनता की सेवा करने का एक ऐसा खास मौका मिला हुआ है, जिसका उचित लाभ उठा कर वे प्रदेश में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विचार-विमर्श की ऐसी मशीनरी कायम की जायेगी जिससे समस्याओं को निपटाया जा सके। जहां एक तरफ सरकार अपने कर्मचारियों की उचित मांगों के प्रति हमेशा जागरूक रहेगी, वह यह भी उम्मीद करती है कि सरकारी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे। सरकारी कर्मचारियों में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण आप लोगों को चालू साल के अनुपूरक तखमीने और अगले साल की एक अवधि के लिये लेखानुदान पारित करने हैं। इसके अलावा जो अध्यादेश मैंने इस बीच जारी किये उनके बजाय विधेयक भी पारित करने होंगे। साथ ही, आपके सामने चिट फन्डों पर नियंत्रण रखने व अपार्टमेंट फ्लैट्स की मिल्कियत के बारे में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तथा टोल्स ऐक्ट में संशोधन करने के लिये भी विधेयक लाये जायेंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा कि इस महान् प्रदेश की महान् जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आप सब के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक हासिल करना है। समय की यह चुनौती हमें इन लाइनों की याद दिलाती है --हमारे बुजुर्ग नेता जवाहर लाल नेहरू अक्सर ये लाइनें पढ़ा करते थे :--

इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें,
गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले !

पूज्य बापू महात्मा गांधी--राष्ट्रपिता की भी मैं याद दिलाना चाहता हूं।

इस मौके पर यह भी स्वाभाविक है कि हम सब को अपने पूज्य बापू की व खासतौर पर उनकी रामधुन के इस भाग की याद आये--

ईश्वर अल्ला तेरे नाम,
सब को सन्मति दे भगवान।

मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी सूझ-बूझ और कोशिशों से प्रदेश का भविष्य अधिक उज्ज्वल होगा और मेरी सरकार के साथ-साथ आप सभी इस प्रदेश की तेजी से तरक्की के भागीदार होंगे।

जय हिन्द।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 30 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किया गया शाब्दिक संशोधन।

खण्ड 10 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 17—क की उपान्तिक टिप्पणी को पुनरीक्षित करके उसे निम्नलिखित रूप में रख दिया गया है:—

'वक्फ, न्यास, इत्यादि को प्रतिकर का भुगतान।'

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 10 वि0 सभा—(338)—1974—835.